

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/387 /

जबलपुर, दिनांक 16 / 07 / 2025

IV-12-14/80 Pt VII-U

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-1/2025/नियम/चार भोपाल दिनांक 03 अप्रैल, 2025 के निहित शर्तों एवं प्रावधान के अनुसार कु. रागिनी सोनी, जूनियर ज्युडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर को दिनांक 01/04/2025 से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक D/388 /

जबलपुर, दिनांक 16 / 07 / 2025

IV-12-14/80 VII Pt VII-U

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
 2. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
 3. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
 4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ, जबलपुर,
 5. कु. रागिनी सोनी, जूनियर ज्युडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)